

डॉ. एस. सिद्धार्थ, भा.प्र.सं.

प्रधान सचिव
वित्त विभाग
बिहार सरकार



पुराना सचिवालय, पटना - 800 015
फोन : +91-612-2215805 (कार्या.)
फैक्स : +91-612-2217694
ई-मेल : finsecy-bih@nic.in

पत्र सं०-एम-4-09/2014.....2049.....वि०

शुद्धि पत्र

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक- 26-02-19

विषय:- माह फरवरी एवं मार्च 2019 में कोषागार में विपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।
प्रसंग:- वित्त विभागीय पत्रांक- 1744/वि० दिनांक- 18.02.2019
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में अंकित कंडिका (1) एवं (2) को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है:-

- (1) कंडिका- 1 में उल्लेखित “दिनांक- 28.02.2019 तक” को विस्तारित करते हुए “15.03.2019 तक” किया जाता है ।
- (2) कंडिका- 2 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-
 - 2 (i) विभिन्न मदों में, जिसके लिए राशि की उपलब्धता, तृतीय अनुपूरक के माध्यम से किया गया हो, से संबंधित विपत्र दिनांक-25.03.2019 तक कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे ।
 - 2 (ii) इसी तरह वास्तविक व्यय से संबंधित अभिश्रव, जो दिनांक- 01.03.2019 को या उसके पश्चात प्राप्त हुई हो, से संबंधित विपत्र दिनांक- 25.03.2019 तक कोषागार में स्वीकार किये जायेंगे ।

शेष कंडिका यथावत रहेंगे ।

विश्वासभाजन,

26/2/2019
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव